

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में उत्तीर्ण योजना आनंदपुर नहीं-

स्त्रीमाधन- अंडार्टीसिएस-स्ट्रिप्पर्स-स्ट्राईप निर्माण में प्रभावित होने वाली 2-4342 है। वनभूमि की क्षतिपूर्ति हेतु दुगूने अर्थात् ५-८६९ है। के वनीकरण हेतु वन विभाग द्वारा ग्राम २३८८ पर की सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। उक्त भूमि वनीकरण हेतु उपर्युक्त होने का प्रमाण-पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा प्रस्ताव के 2.10 (प्रपत्र 43) में दिया गया है।

उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व की है एवं राजस्व अभिलेखों में खाता संख्या.....८०.....के अन्तर्गत श्रेणी१(३)ख.२ जंगल में दर्ज है। यह भूमि शासनादेश संख्या 759(1)/XVII(2)/2009, दिनांक 20.03.2010 द्वारा लैण्ड बैंक के अन्तर्गत अनुमोदन उपरान्त जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 558/26-वन/2010-11, दिनांक 02.07.2010 के अनुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानान्तरित कर दी गई है, उक्त भूमि मध्ये तहसीलदार, कपकोट के पत्रांक २०४ /भूलेख, दिनांक २९.०३-२०१६ द्वारा ७.३१२ है। जो संलग्न है।

संलग्न :- खतौनी एक प्रति।

~~अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोगों विभाग
बागेश्वर।~~ ३०.३.१६

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।
संख्या - ५५८ / छब्बीस-वन / 2010-11 दिनांक: ०२ जून 2010
कुलदीप

कुलदीप

सेवामें

अधिशासी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड,

लोक निर्माण विभाग,

बागेश्वर ॥

विषय:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक पर अपने कार्यालय के फैक्स पत्र संख्या- 223/2 ई0व0भू० दिनांक: 02 जुलाई, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जनपद में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि जनपद के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित तहसीलवार तुल भूमि- 1402.678 है० ती सूचना/स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या- 172 / छब्बीस-वन / 2008-09 दिनांक: 02 फरवरी, 2009 से शासन को प्रेषित की गई थी, जिसकी रखीकृति शासन ने अपने पत्र संख्या- 759 (1) / xviii (2) / 2009 दिनांक: 20 मार्च, 2010 के माध्यम से प्रदान की थी, किन्तु, चिन्हित भूमि का पृथक कर लिया गया है, तदनुसार 1265.676 है० भूमि वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में पृथक कर लिया गया है, शेष तहसील गरुड एवं काण्डा में चिन्हित भूमि को वन विभाग रथानान्तरित की जा चुकी है, शेष तहसील गरुड एवं काण्डा में चिन्हित भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया इस स्तर पर गतिमान है। जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी,

कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागेश्वर को अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि० यागेश्वर के उक्त फैक्स पत्र संख्या जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको उक्तानुसार शेष भूमि को अपने प्रशासनिक नियन्त्रण में लेते हुए इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया इस कार्य को प्राथमिकता से लेवें।

प्रभारी, अधिकारी,

कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

कृते प्रभारी

प्रभारी अधिकारी
शान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर ८८/११६

Sten/
८८/११६
८८/११६

Bd
प्रभारी अधिकारी
शान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर ८८/११६